न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—152 / 2024 / 75 एल.आर.एक्ट (2024 / 152)

1. कालू पुत्र मिश्रीलाल
2. मीरा पत्नि कालू
   समस्त जाति भील, निवासी डान्गेश्वर कॉलोनी, मसूदा, तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

अपीलांट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत शेरगढ, जरिए सरपंच।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शेरगढ पंचायत समिति मसूदा जिला ब्यावर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला ब्यावर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, आदेश दिनांक 30.07.2022 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 2022 / 102 में पारित आदेश।

उपस्थितः—

1. श्री हसन खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 3
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—30.03.2026

1. यह अपील कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 2022 / 102 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 499 / 234 रकब 0.6391 मे से 0.5454 हैक्टर व खसरा संख्या 233 रकबा 0.1375 में से 0.1375 हैक्टर, खसरा संख्या 221 रकबा 0.3074 मे से 0.1280 हैक्टर को कृषि से आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन बाबत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अन्तर्गत भू—राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रस्तुत किया। आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार मसूदा बिजयनगर द्वारा अनुशंषा सहित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व / ग्रुप—6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज.6 / 2021 / 89 जयपुर

दिनांक 30.9.2021 व राजस्व ग्रुप 6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज.6/2021/143 जयपुर दिनांक 15.12.2021 एवं अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज. 6/2021/76 जयपुर दिनांक 14.4.2022 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानानुसार तहसील मसूदा–बिजयनगर के खसरा नम्बर अंकित करते हुए प्रस्तावित भूमि को राजस्व ग्राम में भूमि आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के आदेश दिनांक 30.7.2022 को पारित किए गए। अतः अपील कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 2022/102 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 235, 236 जो कि अपीलांट की खातेदारी की आराजी रही है व मौके पर प्रस्तावित आबादी भूमि 233 से सटती हुई सीमाज्ञान के अभाव मे उपरोक्त आराजीयात एक ही चक की आराजी है अवैधानिक रूप से आराजी खसरा संख्या 233 जो कि मुख्य सडक से पटटीनुमा रूप मे है, को कृषि से आबादी विस्तार परियोजनार्थ संपरिवर्तन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर मौके पर आज्ञात्मक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए आक्षेपित आदेश से संपरिवर्तन किए जाने के आदेश पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। उक्त अनुपालना में वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र हस्तानान्तरित किया जा रहा है व अपीलांट की खातेदारी की आराजी को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9 (3) (4) (6) अधिसूचना के तहत अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अपीलांट की खातेदारी की आराजी बाबत आदेश पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। संपरिवर्तनशुदा आराजीयात से सटती हुई प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात रही है, जिसके हितों की रक्षार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थी को निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. हमने अपीलांट द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अपीलांट को उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, मसूदा के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार

नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने व अपीलांट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

R.B.J(8)2001 PAGE 313-***"CIVIL PROCEDURE CODE, 1908-SECTION 96****- when a person is not a party in the lower court, but if he is a affected party, court should grant him leave for filling an appeal".*

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

6. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत अवैधानिक रूप से नियमों के विपरीत जहां उक्त आराजीयात पटटनुमा स्थित है, पूर्णतया राजस्व नक्शा में आराजीयात को दर्शाया नहीं जाकर राजस्व नक्शा प्रस्तुत किया गया है, जिस बाबत अपीलांट की भूमि पर निर्माण किए जाने के उद्देश्य से संपरिवर्तन आदेश जारी कराया गया है व आक्षेपित आदेश की आड में मौके पर अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात पर आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ बनाए जाने की कार्यवाही हाल ही में दिनांक 25.6.2024 को किए जाने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 28.6.2024 को आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.2022 की जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं रही है यदि मियाद को कन्डोन कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया जाता है तो आक्षेपित आदेश की आड़ में प्रार्थी को उनके अधिकारों से महरूम कर दिया जावेगा जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

7. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 499/234 रकबा 0.6391 में से 0.5454 है0 व खसरा संख्या 233 रकबा 0.1375 में से 0.1375 है0 खसरा संख्या 221 रकबा 0.3074 में से 0.1280 है0 को कृषि से आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन बाबत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा अंतर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रस्तुत किया। आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार मसूदा बिजयनगर द्वारा अनुशंषा सहित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व/ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज. 6/2021/89 जयपुर दिनांक 30.9.2021 व राजस्व ग्रुप 6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज.6/2021/143 जयपुर दिनांक 15.12.2021 एवं अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज. 6/2021/78 जयपुर दिनांक 11.4.2022 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानानुसार तहसील मसूदा बिजयनगर के खसरा नम्बर अंकित करते हुए प्रस्तावित भूमि को राजस्व ग्राम में भूमि आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के आदेश दिनांक 30.7.2022 को पारित किए गए। उपरोक्त आराजीयात जो कि अपीलांट की खातेदारी की आराजी 236 व 235 के लगवा स्थित है प्रस्तावित आराजीयात खसरा संख्या 499/234 जो मुख्य हाईवे खसरा संख्या 232 से लगवा प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात के मध्य 40 फीट पटटीनुमा स्थित है उक्त आराजीयात से सटती हुई खसरा संख्या 500, 234 विद्यालय खेल मैदान हेतु आरक्षित आराजीयात रही है। जो कि किसी भी रूप में आबादी हेतु अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन योग्य नहीं होने के बावजूद बिना किसी जांच के प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ आरक्षित किए जाने के आदेश उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा पारित किए गए है। तहसीलदार मसूदा द्वारा दिनांक 29.6.2022 को राजस्व ग्राम भगवानपुरा के खसरा नम्बर 233, 499/234, 221 की आबादी प्रस्ताव में आक्षेप पूर्ति कराने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

जिसमे प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त होना वर्णित करते हुए बिना मौके की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए एक पक्षीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट को आधार मानते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रस्तावित भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किए जाने के आदेश पारित किए गए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है व उक्त आदेश की आड में अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 235, 236 में जबरन अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है अतः पारित आदेश निरस्त योग्य है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व/ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज. 6/2021/89 जयपुर दिनांक 30.9.2021 व राजस्व ग्रुप 6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज.6/2021/143 जयपुर दिनांक 15.12.2021 एवं अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज. 6/2021/76 जयपुर दिनांक 14.4.2022 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानानुसार परिपत्र जारी कर राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु समपरिवर्तन 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य सड़कों के मध्य बिन्दु से छोडे जाने वाले भूमि के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन की दूरी जिसके भीतर आने वाली भूमि समपरिवर्तन योग्य 40 मीटर की दूरी अनिवार्य है, केन्द्र बिन्दु से कन्ट्रोल लाईन की दूरी जहां तक भवन निर्माण संक्रीयाओं को नियंत्रण किया जाता है, 75 मीटर दूरी होगी व साथ ही स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक राज–9/2012 पार्ट दिनांक 17.9.2019 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन चाहता है व समपरितर्वन हेतु आवेदित भूमि का कोई भाग इण्डियन रोड कॉग्रेस के मार्गदण्डों से प्रभावित है, तो ऐसे प्रभावित भू भाग का समपरिवर्तन अनुदेय नहीं होने से उस भाग का समपरिवर्तन नहीं किया जायेगा। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा संपरिवर्तित भूमि का बिना सक्षम अधिकारी द्वारा बिना नोटिस सीमांकन करके नीवं खुदवाया जाना तथा संपरिवर्तन अधिकारी द्वारा बिना खुला क्षेत्र छोडते हुए नेशनल हाईवे तथा रोड कांग्रेस के नियमों की अवहेलना करते हुए नियम विरूद्ध मौके की वास्तविक स्थिति का तहसीलदार द्वारा स्वयं मोके पर जाकर भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना समपरिवर्तन किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। चूंकि समपरिवर्तन आदेश में भूमि 132 फीट पर कन्चर्ट है तथा समपरिवर्तन का प्रयोजन आबादी विस्तार है। अतः संलग्न ब्ल्यू प्रिंट अनुसार 18 फीट छोडते हुए आबादी विस्तार निर्माण किया जाना था, किन्तु मौके पर उक्त नियमों को नजरन्दाज किया गया है। उक्त संपरिवर्तन की भूमि नजदीकी तालाब के केचमेन्ट में है तथा इसकी किस्म तालाबी है, जो समपरिवर्तन योग्य भूमि में नहीं आती है। अतः उक्त समपरिवर्तन आदेश प्रथम दृष्टया निरस्त किए जाने योग्य है। जो कि प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए आदेश पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 235, 236 जो कि अपीलांट की खातेदारी की आराजी रही है व मौके पर

प्रस्तावित आबादी भूमि 233 से सटती हुई सीमाज्ञान के अभाव में उपरोक्त आराजीयात एक ही चक की आराजी है अवैधानिक रूप से आराजी खसरा संख्या 233 जो कि मुख्य सडक से पटटीनुमा रूप में है, को कृषि से आबादी विस्तार परियोजनार्थ सपरिवर्तन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर मौके पर आज्ञात्मक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए आक्षेपित आदेश से संपरिवर्तन किए जाने के आदेश पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को स्वंय की खातेदारी मे होना अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र बाबत उपरोक्त आराजीयात को सपरिवर्तन किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा तहसीलदार मसूदा से उक्त बाबत रिपोर्ट प्रेषित किए जाने हेतु आदेशित किया गया एवं दिनांक 29.6. 2022 को तहसीलदार मसूदा भू अभिलेख निरीक्षक खरवा एवं पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर उक्त आराजीयात को कृषि से आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ परिर्वतन बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा आक्षेपित आदेश से उक्त रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त की आराजीयात खसरा संख्या 233, 499/234, 221 आबादी भूमि से 100 मीटर दूरी पर होना अंकन करते हुए उक्त भूमि बाबत सपरिवर्तन किए जाने के आदेश पारित किए गए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर आदेश पारित किए जाने से अपीलांट की खातेदारी बाबत आदेश पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त खसरा संख्या 233, आराजीयात 499/234, 221 जो कि आक्षेपित आदेश से सपरिवर्तन की गई है, प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी एवं मौका नक्शा अनुसार अपीलांट की खातेदारी की आराजी से चिपती हुई आराजी रही है जिस पर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए, बिना नोटिस जारी किए सपरिवर्तन कराए जाने की अधिकारिता नहीं रही है, इसके बावजूद राजस्व अभिलेख का अवलोकन किए बिना एकमात्र तहसीलदार की विरोधाभासी रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजीयात बाबत संपरिवर्तन आदेश पारित किए जाने में त्रुटि की गई है। वादग्रस्त आराजीयात बाबत अवैधानिक रूप से नियमों के विपरीत जहां उक्त आराजीयात पटटनुमा स्थित है, पूर्णतया राजस्व नक्शा में आराजीयात को दर्शाया नहीं जाकर राजस्व नक्शा प्रस्तुत किया गया है, जिस बाबत अपीलांट की भूमि पर निर्माण किए जाने के उद्देश्य से सपरिवर्तन आदेश जारी कराया गया है व आक्षेपित आदेश की आड में मौके पर अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात पर आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ बनाए जाने की कार्यवाही हाल ही में दिनांक 25.6.2024 को किए जाने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 28.6.2024 को आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 2022/102 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2022 को

निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 499/234, 233 व 221 का आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन अंतर्गत भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत दिनांक 30.07.2022 को किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

ग्राम पंचायत शेरगढ द्वारा दिनांक 13.09.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत खसरा नम्बर 499/234, 233 व 221 के आबादी विस्तार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। तहसीलदार द्वारा इस संबंध में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 499/234, 233 व 221 का मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में उक्त आराजीयात मौके पर रिक्त होना बताया गया। उक्त आराजीयात प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती है तथा विवादित आराजीयात से संबंधित कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इन समस्त तथ्यों की जांच तहसीलदार द्वारा किए जाने के उपरांत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा को दिनांक 29.06.2022 को इसकी रिपोर्ट प्रेषित की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा द्वारा इन समस्त तथ्यों की विधिवत जांच किए जाने के उपरांत प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 499/234 रकबा 0.6391 में से 0.5454 है0 व खसरा संख्या 233 रकबा 0.1375 में से 0.1375 है0 खसरा संख्या 221 रकबा 0.3074 में से 0.1280 है0 को कृषि से आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने हेतु राजस्व/ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज. 6/2021/89 जयपुर दिनांक 30.9.2021 व राजस्व ग्रुप 6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज. 6/2021/143 जयपुर दिनांक 15.12.2021 एवं अधिसूचना क्रमांक प.3 (17) राज. 6/2021/78 जयपुर दिनांक 11.4.2022 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानानुसार तहसील मसूदा बिजयनगर की प्रस्तावित भूमि को आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के आदेश दिनांक 30.7. 2022 को पारित किए गए।

अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य उज्र यह उठाया गया है कि अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 235 व 236 में अतिक्रमण किया जा रहा है व खेल मैदान खसरा नम्बर 500/234 का भी रास्ता बंद किया गया है। चूंकि आबादी विस्तार की भूमि अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 235 व 236 से लगती हुई है, इसलिए अपीलांट को वर्तमान प्रकरण में आवश्यक पक्षकार कायम किया गया है। परंतु अपीलांट द्वारा जरिए दस्तावेजात व मौखिक कथनों से यह कहीं पर भी साबित नहीं किया गया है कि आबादी विस्तार हेतु किए गए संपरिवर्तन आदेश से अपीलांट के खसरा नम्बर 235 व 236 किस आधार पर प्रभावित हो रहे हैं। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं

उपजिला मजिस्ट्रेट, मसूदा द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ही संपरिवर्तन आदेश की कार्यवाही विधिवत रूप से की गई है।

तहसीलदार मसूदा व ग्राम पंचायत शेरगढ को यह निर्देश दिए जाते हैं कि खेल मैदान के खसरा नम्बर 500/234 में आवागमन हेतु रास्ते को अवरूद्ध नहीं किया जाए व इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमों की पालना सुनिश्चित करे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा *द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर किया गया है। जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।*

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 2022/102 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर